

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक ०३ अ-८२/२०१७-१८ मौजा रातामाटी/३००९

बैतूल दिनांक २४-०३-२०१८

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -१ के कालम (१) से (४) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (६) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ (क्रमांक ३० सन २०१३) की धारा ११ की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (५) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम २०१३ की धारा १२ के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-१

जिला	तहसील	ग्राम/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०मे)	धारा १२ के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
१	२	३	४	५	६
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	रातामाटी	८.६८५	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-२ बैतूल	प्रभुदाना लघु जलाशय

अनुसूची - २

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा है०मे	कुल अर्जित रकबा हे.
१	२	३	४	५
१	देवकी जौ सद्गू गौली सा. देह भूमिस्वामी	४१९	०.३७६	०.३७६
		४२०	४.५०९	१.८५०
२	लक्ष्मण, जगन, मदन, नारायण व. किसना जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी	४२१/१ ४२२/१ ५१५/४	७.४५५	२.५००
३	वामनराव व. शंकर गौली सा. देह भूमिस्वामी	४२१/२ ४२२/२ ५१५/५	२.४५२	०.५५०
४	गोहसिंग व. ठुन्नू कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	५०९/१ ५१०/१	१.७०८	०.१५०
५	सुदामासिंग व. आनंदसिंग राजपूत सा. देह भूमिस्वामी	५०९/२	१.६४९	०.१२०
६	बलराम व. नत्थू पवार सा. देह भूमिस्वामी	५११	०.४६९	०.४६९
७	अंकुश व. तुलसीराम, पार्वती वे. तुलसीमेहरा	५१६/१	१.९३९	०.१५०
८	नत्थू व. महेश घुडया चिंधी पुत्री घुडया मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	५१६/२	१.४३२	०.२००

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
9	लंकेश व. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पि. मंहगया मेहरा	553/1	1.330	0.725
10	दिनेश व. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पि. मंहगया मेहरा	553/2	1.329	0.725
11	अजाबराव व. श्यामराव कुंबी सा. देह भूमिस्वामि	350/1	2.962	0.200
12	जगदीश व. श्यामराव कुंबी सा. देह भूमिस्वामि	350/2	2.963	0.200
13	चिमन व. लालसिंह गौंड	348/1	0.755	0.085
14	भिव्कू, हिम्मत व. लालसिंह, दस्सू पिता लाल सिंह गौंड	348/3	2.265	0.255
15	रज्जूरजमा पिता रायसिंह गौंड	349/3	1.510	0.130
	योग		35.103	8.685

1- चूंकि प्रभुदाना लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत समाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 03 अ-82/वर्ष 17-18/ 3 009
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 24-3-2018

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार भैसदेही की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रातामाटी (प्रभुढाना) तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग